

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2223]	नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 23, 2013/आश्विन 1, 1935
No. 2223]	NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 23, 2013/ASVINA 1, 1935

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली डिवीजन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2013

का.आ. 2895(अ).—जबिक केन्द्र सरकार ने दिल्ली मुख्य योजना में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव किया है, जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (3) द्वारा यथा-अपेक्षित उक्त सूचना की तिथि से पैतालीस दिनों के अंदर आपत्तियाँ /सुझाव आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना के रूप में का.आ.सं. 1377 (अ) दिनांक 28.05.2013 द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

- 2. जबिक, प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त की गयी आपितयों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गठित किए गए जांच एवं सुनवाई बोर्ड द्वारा विचार किया गया था और दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में उन्हें अनुमोदित भी किया गया था।
- 3. जबिक, केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मुख्य योजना-2021 को संशोधित करने का निर्णय किया है।
- 4. अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा भारत के राजपत्र् में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से निम्नलिखित संशोधन करती है।

4103 GI/2013 (1)

अध्याय-वार संशोधन निम्नानुसार है:-

अध्या		दिल्ली मुख्य योजना	202	1 का			संशोध	ग न		
क्र.सं.		पैरा/खण्ड/तालिका								
1		2					3			
(क) 3	अध्या	य 1.0 - प्रस्तावना								
1	पैरा	20 (एम)	_	-	-	सड़कों में साइकिल ट्रैक	, पैदल	पथ और	विकलांगों	के लिए
			उपय्	रुक्त पथ बना	ने की	व्यवस्था करना				
अध्या	य 3.	.0 - दिल्ली शहरी क्षेत्रफ	ਅ 2	2021						
2	र्ताा	लेका 3.3 : शहरी विक	ास							
	का	श्रेणीबद्ध गठन		स्तर	सुवि	थाएं	उपल	ब्ध/		
								ाखित		
								जाएगा		
							एलओ पी	जैडपी		
				1	2		6	7		
				3. समुदाय जनसंख्या	4. ਸ਼	स्ति गृह				
				1,00,000	5. पॉली	नर्सिंग होम/ क्लीनिक	•			
					(विव समा ज्वाई	म्हुउद्रदेशीय समाज सदन गह, छोटे सार्वजनिक रोहों, उत्सव ईटिंग इंट और पुस्तकालय, नेजियम आदि)	•			
					14. केवी	विद्युत सब-स्टेशन 66	•			
					16. 3	औपचारिक बाजार	•			
					19. व	बस टर्मिनल	•			
					20 3	ापजल शोधन सुविधा	•			
					21 ₹	गिवेज पम्पिंग स्टेशन	•			
					आदि	बसों,.एलएमबी, आईपीटी की पार्किंग के लिए ग स्थल	•			
				4. जिला जनसंख्या		ालतू पशु एवं पक्षियों के पशु चिकित्सालय	•			
				5,00,000	12. विक	शारीरिक/ मानसिक लांगों के लिए देखरेख	•		_	

			केन्द्र			
			13. कामकाजी महिलाओं- पुरुषों के लिए होस्टल	•		
			15. अनाथालय/ बच्चों के केन्द्र (प्रत्येक एक)	•		
			19. बस टर्मिनल	•		
		5. क्षेत्रीय/	3. दूरभाष केन्द्र	•		
		उप शहरी जनसंख्या 10,00,000	7. मुख्य डाक घर एवं प्रशासनिक कार्यालय	•		
			8. सीवेज पम्पिंग स्टेशन	•		
			9. जल एवं सीवरेज के लिए नगर निगम कार्यालय	•		
			12. ओल्ड ऐज होम	•		
अध्याय	4.0 आश्रय					
		पुनर्वास क व्यक्तियों ए	विनियम और मार्ग-निर्देश गॅलोनियों का स्वस्थाने सु वं असुरक्षित इमारतों के 1 ब्लिक हाउसिंग योजनाएं	धार/पुन	ार्वास, पा	रियोजना प्रभावित
4	पैरा 4.2.3.4	एवं रखरख मार्गनिर्देशों प्रभावित व योजनाएं प्र निर्देश र्ग (vii) ई.ड कान्यूनतम आईएस 88 (viii) तल घटक हेतु लाभकारी घ दी जा स	न पुनर्वास कालोनियां, जिन गव लंबित है, स्लम एवं जे. और प्रोत्साहनों पर अ त्यिक्तयों एवं असुरक्षित इ ग्वं अ.पि.व. पब्लिक हार्डा नेम्नलिखित शर्तों सहित ल इब्ल्यू.एस. अथवा पुन क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर अ क्षेत्रफल के प्रति 100 वर्गम सम्मिलित पार्किंग की व प्रटक के लिए पार्किंग को इ कती है लाभकारी घटक के भूमि उपयोग के लिए लागू	जे. पुनव ाधारित मारतों सेंग यो ग्रागू होंगे वर्षस और अधि भाकार ह यवस्था छोड़कर जे लिए प	र्मास योज होना ह के लिए जनाएं वि हेतु ेंकतम ोगा 0.5 ई.२ की जाव जहां कह	ाना हेतु यथा लागू वाहिए, परियोजना पुनस्थापना हेतु नेम्नलिखित दिशा आवासीय इकाई 40 वर्ग मी०और नीएस में रिहायशी नी चाहिए, जिसमें ों अपेक्षित हो, छूट

5		फुटनोट : स्लम एवं जे.जे. समूहों के स्वस्थाने पुनर्वास के स्थान पर					
		उपर्युक्त निदेशानुसार 2000 वर्ग मीटर से छोटे प्लॉटों पर स्लम एवं जे.जे. समूहों को पुनः अवस्थित किया जाए।					
6.	पैरा 4.3 रैन बसेरा	बेघरों, विकलांगों व्यक्तियों सिहत मिहलाओं और बच्चों, अनाथों और बुजुर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त रैन बसेरों के विकास					
7.	4.4 रिहायशी उपयोग जोन	पैरा 4.4.2 को '4.4.2क' में निम्नानुसार परिवर्तित किया जाता है 4.4.2 क' उपयोग परिसरों में रिहायशी जोन (आरडी) का उप विभाजन					
	हेतु विकास नियंत्रक						
8		4.4.2ख सामुदायिक एवं उपरी स्तर पर रिहायशी उपयोग जोन हेतु उपयोग परिसर					
		सामुदायिक एवं उपरी स्तर पर रिहायशी उपयोग जोन हेतु योजना बनाते समय निम्नलिखित उपयोग परिसरों की व्यवस्था की जाए/अनुमति दी जाए:					
		 परिवार कल्याण केन्द्र/शिशु चिकित्सा केन्द्र/वृद्ध चिकित्सा केन्द्र/निदान केन्द्र 					
		ii. प्रस् ति गृ ह					
		iii. नर्सिंग होम/पॉलीक्लीनिक					
		iv. पालतू जानवरों एवं पक्षियों हेतु औषधालय					
		v. पुलिस चौकी					
		vi. सामाजिक मनोरंजनात्मक क्लब सामाजिक- सांस्कृतिक गतिविधियां (ऑडिटोरियम, संगीत, नृत्य एवं नाटक केन्द्र/ध्यान एवं अध्यात्म केन्द्र)					
		vii. रैन बसेरा					
		viii. बहुउद्रदेशीय समाज सदन (विवाह, छोटे सार्वजनिक समारोह, समारोह, जल-पान केन्द्र और पुस्तकालय, जिम इत्यादि के लिए प्रावधान)					
		ix. वियुत सब-स्टेशन 66 के.वी.					
		x. अनौपचारिक बाजार					
		xi. बस अड्रडा					
		xii. ओल्ड ऐज होम					
		xiii. शारीरिक मानसिक विकलांगों के लिए देखभाल केन्द्र					
		xiv. कामकाजी महिलाओं-पुरुषों के लिए होस्टल					
		xv. प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र					

		wi भूनाश (शिश केन्द्र							
		xvi. अनाथ/शिशु केन्द्र							
		xvii. सीवेज पम्पिंग स्टेशन							
		xviii. अप जल शोधन सुविधा							
		xix. टेलीफोन एक्सचेंज							
		xx. प्रधान डाकघर एवं प्रशासनिक कार्यालय							
		xxi. जल और सीवरेज के लिए निगम कार्यालय							
		xxii. बसों, हल्के वाहनों (एलएमवी) आईपीटीज इत्यादि की पार्किंग के लिए पार्किंग स्थल							
9.	तालिका 4.2 : आवासीय	क्रम संख्या 15 की प्रविष्टि मंे संशोधन किया जाता है और उपर्युक्त							
	समीपवर्ती स्तर पर ले-	तालिका के नीचे टिप्पणी में क्रम संख्या (vii) के बाद क्रम संख्या (viii)							
	आउट के लिए आवश्यक	के रूप में एक टिप्पणी जोड़ी जाती है विवरण निम्नानुसार है :							
	आधारिक संरचना	क्रम उपयोग परिसर							
		संख्या							
		(ङ) उपयोगिताएं 15. कचरे के पृथक्करण के लिए क्षेत्र और उपयोगिता वाहनों की पार्किंग							
		कार् जार उपयागता पहिला का पाकिंग							
		टिप्पणी :							
		(viii) स्थानीय निकाय अवस्थित डलावों को चरणबद्ध तरीके से हटाना							
		स्विश्वित करेंगे							
10.	चाबिका ४२ · स्पर्णेण	ँ निम्नलिखित उपयोग परिसरों के लिए अनुमत उपयोग/उपयोग							
10.	परिसरों में अनुमत								
	उपयोग/उपयोग								
	गतिविधियां	उपयोग परिभाषा अनुमत उपयोग/							
		उपयोग परिभाषा अनुमत उपयोग/ परिसर उपयोग गतिविधिया							
		छात्रवास एक ऐसा (i) छात्रवास, ओल्ड							
		परिसर जो ऐज होम,							
		प्राय: किसी (ii) भोजन करने का							
		सस्थान स							
		संबद्ध होता है एरिया) तथा जिसमें							
		भोजन की चौकीदार आवास							
		व्यवस्था भी हो नाई की दुकानों,							
		अथवा नहीं हो लाउण्ड्री, सॉफ्ट							
	l .	~ '							

			तथा जिसमें	ड़िरंक एण्ड स्नैक			
				स्टॉल तल क्षेत्र्फल			
				के 20% तक सीमित			
			उपलब्ध कराया				
			जाता है	61411			
			Onth 6				
		अतिथि	एक ऐसा	(i) अतिथि कक्ष(ii)			
		गृह,	परिसर, जो	चौकीदार आवास,			
		लॉजिंग	अल्पावधि के	नाई की दुकान,			
		एण्ड	लिए अस्थायी	लाउण्ड्री, सॉफ्ट			
		बॉर्डिंग	आवास प्रदान	ड़िरंक एण्ड स्नैक			
		हाउस,	करता हो	स्टाल तल क्षेत्रफल के			
		सराय		20 %तक सीमित			
				होंगे			
		धर्मशाला	एक ऐसा	(i) धर्मशाला(ii)			
		अथवा	परिसर, जो	नाई की दुकान एवं			
		इसके	बिना लाभ	लाउण्ड्री, सॉफ्ट			
		समान	आधार पर	ड़िरंक एण्ड स्नैक			
			अल्पावधि के	स्टाल की सर्विस			
			लिए अस्थायी	कार्मिकों की दुकानों			
			आवास प्रदान	का तल क्षेत्रफल के			
			करता हो	20% तक सीमित			
				होंगा ।			
11		उपयोग	परिभाषा	अनुमत			
		परिसर		उपयोग/उपयोग			
				गतिविधियां			
		स्टूडियो	एक ऐसा परिसर,	(i) स्वीट(ii)			
		स्टूाड्या अपार्टमेंट	जो	आवश्यकता के			
		अभाटनट		अनुसार केयर टेकर			
			के लिए	•			
				दुकानों, खाने एवं			
			5	सहायक सुविधाएं			
			रिहायशी आवास	_			
			प्रदान करता हो				
			ווא ווואיר ויוואיר	होगी			
12	4.4.3 आवासीय परिसरों	पैरा 'छ' के	बाद एक नया पैरा '	ज स्टूडियो अपार्टमेंट्रस	न' शामिल किया		
	के अंदर भवन/भवनों के	जाता है विव	रण निम्नानुसार है :				
		3					

	लिए नियंत्रण	ज. स्टूडियो अपार्टमेंट्रस					
		प्लॉट का न्यूनतम अकार अधिकतम याउण्ड कवरेज अधिकतम एफ.ए.आर. उंचाई विमानपतन प्राधिकरण/अग्निशमन विभाग एवं अन्य सांविधिक निकायों से अनापति की शर्त पर) 100 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र का 2.0 ई.सी.एस. स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए अन्य नियत्रण : (i) अपार्टमेंट का अधिकतम निर्मित आकार 60 वर्ग मी. होगा। (ii) प्लॉट न्यूनतम 12 मी. चौड़ी सड़क पर स्थित होना चाहिए। (iii) तहखाना, यदि बनाया गया हो, एवं मात्र पार्किंग के लिए उपयोग किया जाता हो तो उपयोगिताओं एवं सेवाओं को त अनुपात में नहीं गिना जाएगा।					
13	4.4.3 ख. आवासीय प्लॉट - समूह आवास	(v) ऐसे फ्लैटों का कुर्सी क्षेत्र्फल (कार्पेट एरिया) 25 वर्ग मी. वर्ग मी. के बीच होना चाहिए	से 40				
अध्याय :	5.0 व्यापार एवं वाणिज्य						
14	तालिका 5.1 : व्यावसायिक क्षेत्रें की पांच स्तरीय प्रणाली	(v) आवासीय प्लॉटों में मिश्रित उपयोग विनियमों के अनुसार अनुमत व्यावसायिक केन्द्रों में गैर आवासीय गतिविधियां अनुमत होंगी।					
15	पैरा 5.8 होटल	पैराग्राफ को नया नम्बर 5.8 (क) दिया गया है और उक्त पैराग्राफ में वाक्य "कम लागत के धर्मशाला/होस्टल की श्रृंखला तैयार करने का प्रस्ताव है" को हटा दिया गया है। तदनुसार, पैरा 5.8 (क) को निम्नानुसार पढ़ा जाए : 5.8 (क) होटल दिल्ली सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं, थोक बाजार, यातायात केन्द्र आदि के भाग के रूप में प्रस्तावित है।					

16		5.8 (ख) दीर्घाविध (सर्विस अपार्टमेट) एवं अल्पाविध आवास आवास की दीर्घकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सर्विस अपार्टमेंट प्रस्तावित हैं। कम लागत के अल्पाविध आवासों की कमी को पूरा करने के लिए, संबंधित भूमि उपयोगों के अंतर्गत गेस्ट-हाउस, लॉजिंग एवं बॉर्डिंग हाउस/धर्मशाला, होस्टल की शृंखला तैयार करने का प्रस्ताव है। यह, व्यावसायिक, औद्योगिक, सार्वजनिक, अर्ध-सार्वजनिक एवं परिवहन उपयोग जोनों के लिए वर्तमान और/या तैयार की जा रही योजनाओं में संशोधन के समय प्रदान/अनुमत की जाए।						
17	तालिका 5.4 : विकास नियंत्रण - व्यावसायिक केन्द्र	उपयोग/ उपयोग परिसर (घ) सेवा	अधिक तम कवरेज (%)	एफ. ए. आर.	ऊंचाई (मीटर एन	पार्किंग) मानक ई.सी.ए स./ तल क्षेत्रफल का 100 वर्ग मीटर	अन्य नियंत्रण	
		अपार्टमेटस			आर*			
18	तालिका 5.5 : परिभाषाएं एवं उपयोग परिसरों में अनुमत कार्यकलाप	उपयोग परिसर सेवा अपार्टमैंट	मील की पूर्णतः फ और स् परिसर अं के कार्पोरे लिए उपयं	र्निश्ड, उ वतः रिलघु ट आवा	सर्विसड़ निहित अवधि	सम्मेलन सु कार्यालय (ii) खुदरा/से	सूट / विधाएं / वा त्यकता डाइनिंग न्हें	

	1 2 2 2							
अध्याय 1	1.0 शहरी डिजाइन							
19	पैरा 11.1.1 के 1 की क्रम सं.V	अवस्थि	V)चौड़ाई, सतही व्यवस्था, मोड़ कटाव, वृक्ष और स्ट्रीट फर्नीचर अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए पैदल यात्रियों और विकलांग व्यक्तियों की सुरक्षा की दृष्टि से साथ चलने वाले मार्गों को बनाए रखा जाए।					
20	पैरा 11.6.1 स्ट्रीट फर्नीचर और संकेत- चिह्नन	और अव डिजाइन व्यक्तियों से ऊंची होनी च	स्ट्रीट फर्नीचर और संकेत भूमि उपयोग, कार्यकलापों की तीव्रता और अन्य विनिर्दिष्ट डिजाइन क्षेत्रें पर गंभीरता से विचार करते हुए डिजाइन किए जाने चाहिए। उनकी डिजाइन पैदल यात्रियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए अनुकूल होनी चाहिए। विकलांग व्यक्तियों के लिए गली से ऊंची पट्टी पर आने, बरसाती जल की जाली आदि द्वारा व्यवस्था होनी चाहिए। प्रवेश के निकट के पार्किंग स्थल विकलांग व्यक्तियों कें लिए आरक्षित होने चाहिए।					
अध्याय १	2.0 परिवहन							
21	क्रम संख्या 'ii'.	व्यक्तियों (आई.टी	के लिए सुरक्षित	ल यात्रियों, साइकिल सुविधाएं और इंटेर्ल सयां और तिपहिया गिं।	ोजैंट परिवहन	न प्रणाली		
22	पैरा 12.1 समन्वित मल्टी मॉडल परिवहन प्रणाली	आवश्यव तरीके १	कतानुसार निर्दिष्ट 1 गमिल किए जा स विकलांग व्यक्तियों	रेवहन (आई.पी.टी. किए जाने वाले चुः कते हैं जहां तक र और साइकिल सव	ने हुए कॉरीड संभव हो, सर्भ	ोर्स पर निजी गि सड़कें पैदल		
अध्याय 1	3.0 - सामाजिक आधारिक	संरचना						
23	पैरा 13.2 शिक्षा	,	ने जरूरत को विभि	ं व्यक्तियों के लिए ोन्न विकास संबंधी				
24	तालिका 13.3 : शिक्षा सुविधाओं के लिए योजनागत मानदंड एवं मानक	क्र.सं. 2.	श्रेणी उच्चतम माध्यमिक विद्यालय / माध्यमिक विद्यालय	जनसंख्या / ईकाई (लगभग)	प्लांट क्षेत्रफल 0.6-0.8 है0			
25		क्रम संख्या	श्रेणी	जनसंख्या/इकाई (लगभग)	प्लॉट क्षेत्रफल			

		4.	विकलांग टर के लिए विस		10.0 ਰ	नाख		0.	.2 हैक्टेयर		
26	तालिका 13.4 : शिक्षा सुविधाओं के लिए विकास नियंत्र्ण	क्र. सं.	श्रेणी	भू कवरेज	अधिव एप आ	न् ए	उंचा ई		न्य नेयंत्रण		
		4.	उच्चतम माध्यमिक विद्यालय / माध्यमिक विद्यालय	35%	150		¹⁸ मीटर	20	र.मु.यो - 021 में ए गए		
27		क्रम सं.	श्रेणी	अधिक भू	तम एफ.ए	r. ड े	चाई	अन्य	। नियंञ्ण		
		6.	विकलांग व्यक्तियों के लिए स्कूल	कवरेज 50%	आर.	18 Æ	3 1c र	रूप विक व्यति स्कूल	क्तेयों के मों के ले में		
28	तालिका 13.6 शिक्षा सुविधाओं हेतु विकास नियंत्रण (उच्चतर शिक्षा)	क्र. स	श्रेणी टयवसायिक प्र	গিমেতা	भू कवरेज 35%	एफ ए उ आर	उंचा 37	ई	अन्य नियंः 1. अधिकतः		
		2.	केन्द्र आईआई पॉलिटेक इंक/ वैयवैसायिक/ प्रशिक्षण उद्देश्य संस्थान/प्रबंधा प्रशिक्षण संस्थ प्रशिक्षण संस्थ आदि)/अनुसंध और विकास वे सामान्य कॉले	टी / प न क गान गान			मीटर		एफएआर व प्रतिशत तब् के हॉस्टल लिए उपयोव जा सकता 2. पार्किंग फ्लौर क्षेत्रप 1.33 ईसीए वर्ग मी.। य दुरउपयोग	ता 30 ह विद्यार्थी आवास के ग किया है। मानक नल का स∕100	

3.	*	<u> </u>		-a- + 2-
	वैयवेसायिक कॉलेज			पार्किंग के लिए
	(तकनीकी)			चिन्हित क्षेत्रफल को
				नगर पालिका का
				बनाया जाए।
				प्राधिकरण द्वारा लिया
				जाए।
				3. बेसमेंट आदि का
				अन्य नियंत्रण विकास
				कोड चैपटर में दिया
				जाए।
				Silet
4.	अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा			1. पार्किंग मानक
	केन्द्र (आईईसी)			1.33 ईसीएस/फ्लौर
	सहित विश्व			क्षेत्रफल का 100
	विद्यालय कैम्पस-			वर्ग.मी.
	बड़े कैम्पस (10			प्रगाला.
				2. बेसमेंट आदि से
	हैक्टेयर और			संबंधित अन्य
	अधिक) को			नियंत्रण विकास कूट
	निम्नलिखित दो			चैपटर में दिया गया
	भाग में बांटा			
	जाएगा।			
		24	0.7	3. लैंडस्केप योजना
	क) प्रशासन सहित	30% 225	37 मीटर	तैयार की जानी है।
	शैक्षिक (कुल भूमि			(1917 यम आणा हा
	क्षेत्रफल का 45			
	प्रतिशत)			
	ख) रिहायश (कुल	। 1.ग्रुप हॉऊसिंग	ा के लिए	
	भूमि क्षेत्रफल का	ा.थुप हाजासग नियमितीकरण		
	•		rG	
	25%)	आवेदन		
		2.भूमि रिहायश	fi .	
		मानदण्डों के 3		
		आरक्षित होगी।		
	ग) खेलकूद और	10% 15	26 मीटर	
	सांस्कृति			
	सास्कृति गतिविधियां			
	ાતાવાથયા			
	घ) पार्क और	ा । लागू नहीं होता	1	
	त्रेंडस्केप (15%)	411-X 4161 61(11	•	
	(1576)			
	I .			1

29 पैरा 13.11 सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक सुविधाएं/परिसर।

पीएसपी सुविधाओं/परिसरों के मामले में निम्नलिखित मानदण्ड मान्य होंगे जिसके लिए विशिष्ट विकास नियंत्रण चिन्हित नहीं हैं।

- 1. अधिकतम ग्राऊंड कवरेज- 30%
- 2. अधिकतम फ्लैट क्षेत्रफल अनुपात-120
- 3. अधिकतम ऊंचाई- 26 मीटर

अन्य नियंत्रण:-

पार्किंग फ्लैट क्षेत्रफल का 2 ईसीएस/100 वर्ग मी. की दर से। अन्य नियंत्रण विकास कूट अधयाय में दिया गया है।

नोट:

ii.एमपीडी-2021 के प्रावधानों के अनुसार एकल और उसके बहु उपयोग के लिए छोटे पीएसपी प्लाटों या बड़े पीएसपी प्लाटों के उप-खंडों के एलाइनमेंट के लिए मान्य पीएसपी सुविधाओं सहित अनुमति है।

तालिका 13.17 : सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए विकास नियंत्र्ण

क्र. स	श्रेणी	अ	धिकतम		अन्य नियंत्रण
\		भू कवरेज	एफए	<u> उं</u> चाई	
			आर		
2.	क. सामुदायिक मनोरंजन क्लब ख. मनोरंजन क्लब	30%	120	26 मीटर	पार्किंग मानक 2 ई.सी.एस./फ्लोर एरिया का 100 वर्ग मी.

टिप्पणियां:

(i) एल.बी.जैड एरिया सिविल लाइन्स बंगला क्षेत्र मनोरंजनात्मक उपयोग जोनों में अवस्थित और विरासत स्ट्राक्चर पर विद्यमान मनोरंजन क्लबों पर अलग-अलग मामले के आधार पर विचार किया जाएगा तथा दि.वि.प्रा. की तकनीकी समिति विद्यमान स्थिति के आधार पर विकास नियंत्रण मानदण्डों को अनुमोदित करेगी।

31	तालिका 13.18 : अन्य	क्रम	श्रेणी		जनसंख्या / इ (लगभग)	काई	अधिकतम प्लॉट ४	तेत्रफल	
	सामुदायिक सुविधाओं	सं.			(लगनग)				
	के लिए योजनागत	1.	(छ) सेवा 3	भपार्टमैंट	100000		न्यूनतम		
	मानदंड एवं मानक		(5) (2000 वर्ग मी	г.	
			•						
		टिप्पणिर		~		~			
		(i)					कार 40 वर्ग. र्म `	-	
		(ii)		•	12 मा.	चाड़ा सड़	डक के सामने	ास्थत	हाना
			चाहिए		_ ~ _				
		(iii)					ाया हो और उ		
							लिए किया गर	યા ફાત	1 241
			एफ.ए.	.आर. म	शामिल नहीं	ाक्या ज	וופאון		
32		क्रम	श्रेणी		जनसंख्या/	इकाई	अधिकतम प्लॉ	ट	
		सं.			(लगभग)		क्षेत्र्फल		
		1.	(ख) विकल	 मांग	जो दि.मु.यो	r2021	जैसा दि.मु.यो	=	
			व्यक्तियों -		में दी गई है				
			मानसिक र	रूप से			2021 में दिया		
			अपंगों के				गया है।		
			देखभाल वे	न्द् <u>र</u>			·		
33	तालिका 13.19 : अन्य	क्रम	श्रेणी		<u>।</u>	धिकतम		अन्य	
		संख्या				1			
	सामुदायिक सुविधाओं के लिए विकास नियंत्रण			भूमि	एफ.ए.	<u> </u> ऊंचाई		नियंत्रण	T
	क ।लए ।वकास ।नयत्रण			कवरेज	आर.				
		4	सर्विस	30%	225	कोई सी	मा नहीं 'ı*	(i) पा	र्किंग
			अपार्टमेंट			-	प्र विमानपत्तन -	ਜ ਲ	
							ण, अग्निशमन	क्षेत्रफल	
							एवं अन्य क निकायों के	प्रति वर्ग र	100
						1 -	क ।नकाया क न की शर्त पर)	पर	माटर 2
						Signia	ग यग सारा पर)	ई.सी.ए	
								की दर	
								(ii) बे	
								आदि संबंधित	से
								अन्य	'
								नियंत्र्ण	Ť
								को वि	कास
								संहिता	के
								अध्याय	
								दिया	गया
								है	

34		क्रम	श्रेणी		अधिकतम		अन्य
		संख्या		भूमि कवरेज	एफ.ए .आर.	<u> ऊं</u> चाई	 नियंत्रण
		1	ओल्ड ए होम/विकलांग मानसिक रूप विकलांग ले के लिए देख- केन्द्र/कामका महिलाओं/पुरु के होस्टल/पु शिक्षा केन् अनाथालय/ब	से गों रेख जी षों गौढ़ द्र/	120	26 मी	(i) पार्किंग मानक तल क्षेत्रफल के प्रति 100 वर्ग मीटर पर 1.8 ई.सी.एस. की दर से (ii) बेसमेंट आदि से संबंधित अन्य नियंत्रणों विकास संहिता के अध्याय में दिया गया है।
35	तालिका 13.21 : शैक्षिक सुविधाएं	क्रम संख्या	उपयोग	परिभाषाएं	× ×		गतिविधियां
		4. (क)	उच्चतम माध्य- मिक विद्यालय	जिन परिस् बारहवीं कक्षा विद्यार्थियों वं शैक्षिक एवं की सुविधा हो	तक के के लिए खेलकूद	विद्यालय (20 व लेखन मी. तन स्टाल, ऑडिटो	स्कूल, उच्चतम माध्यमिक प, पहरा एवं निगरानी आवास र्ग मीटर तक), किताबें एवं सामग्री दुकान (प्रत्येक 20 वर्ग क) सॉफ्ट ड्रिंक एवं जलपान कैंटीन, बैंक एक्सटेंशन काउंटर, रियम, इंडोर गेम्स हाल, ल, डाकघर काउंटर सुविधा।
		4. (碅)	माध्य- मिक विद्यालय	जिन परिसरों से बारहवीं व के विद्यार्थियों शैक्षिक एवं की सुविधा हो	न्क्षा तक के लिए खेलकूद	एवं नि तक), दुकान, वर्ग म जलपान एक्सटेंश इंडोर व	में माध्यमिक विद्यालय, पहरा गरानी आवास (20 वर्ग मीटर किताबें एवं लेखन सामग्री वर्दी की दुकान (प्रत्येक 20 तो. तक) सॉफ्ट ड्रिंक एवं त स्टाल, केंटीन एवं बैंक तान काउंटर, ऑडिटोरियम, तोम्स हाल, तरणताल, डाकघर सुविधा।
36		क्रम सं0	उपयोग	परिभाषाएं			गतिविधियां
		5.	मानसिक विकलांगों के लिए विद्यालय	जिस परि मानसिक विकलांगों शैक्षिक (अं और व्याव एवं खेलवृ सुविधा हो	पिचारिक ग्सायिक)	आवास वर्कशाप सुविधा _{15%),} 1 दुकान (प्र, पहरा एवं निगरानी (20 वर्ग मीटर तक), त, बिक्री काउंटर, छात्रवास (अनुमेय निर्मित क्षेत्र का केताबें एवं लेखन सामग्री (20 वर्ग मीटर तक), कैंटीन, वेस्तार शाखा, डाक घर

				आव आव कार केट	ज्टर सुविधा, इंडोर गेम्स हाल ११यक कर्मचारियों के लिए ग्रास और छात्रवास के लिए, र्गालय, पेशेवर गतिविधि, पुनर्वास द्र के लिए एफ.ए.आर. का 20% योग किया जा सकता है
37	तालिका 13.27 : सामाजिक - सांस्कृतिक एवं सामुदायिक सुविधाएं	क्रम सं. 22.	उपयोग ओल्ड एज होम/ विकलांगों/ मानसिक रूप से विकलांगों के लिए देखभाल केन्द्र	परिभाषाएं वृद्ध/विकलांगों/ मानसिक रूप से विकलांग की देखभाल एवं प्रशिक्षण, भोजन और आवास की सुविधा से युक्त	अनुमत गतिविधियां आवासीय सुविधायुक्त देखभाल, आवास (प्रबंध एवं अनुरक्षण स्टाफ के लिए), प्राथमिक विद्यालय, मनोरंजनात्मक, पुस्तकालय, स्वास्थ्य, जिम, कैंटीन, डायनिंग सुविधा
38		क्रम सं. 25.	उपयोग अल्पावधि आवास (छात्रवास/ अतिथि गृह/रहने तथा खाने की व्यवस्था वाला स्थान/कामका जी महिला- पुरुष के लिए छात्रवास/ सर्विस अपार्टमेंट।	परिभाषाएं ऐसा स्थान जो पूर्णतः सुसन्जित, सेवा प्रदान करने वाला हो तथा जिसमें भोजन बनाने की व्यवस्था हो तथा जिसका व्यक्ति, परिवार अथवा कॉर्पोरेट द्वारा अल्पाविध आवास के रूप में उपयोग किया जाता है।	अनुमत गतिविधियां (i) गेस्ट सूट (ii) सम्मेलन सुविधाएं, कार्यालय, थोक एवं सर्विस शॉपस और सार्वजनिक भोजन की सुविधा तथा मुख्य गतिविधि (अनुमेय एफएआर के 20% तक सीमित) की सहायक अन्य गतिविधियां

अध्याय 17.0 : विकास संहिता

39	उप/खंड 8 (2) उपयोग	क्र. सं.	उपयोग परिसर	उपयोग जोन
				आरडी सी1 सी2 एम पीएस
	जोनों में उपयोग	आरडी	रिहायशी	
	परिसरों की अनुमति	i.	रिहायशी भूखंड-भूखंडीय आवास	पी पी* एनपी एनपी एनपी
	पारसरा पग अधुनाता	ii.	रिहायशी भूखंड - ग्रुप हाउसिंग	पी पी एनपी एनपी पी
		iii.	स्टूडियो अपार्टमेंट	पी एनपी एनपी एनपी एनपी
			रिहायशी एवं कार्य भूखंड	

		iv.	विदेशी मिशन		पी पी	एनपी	एनपी	एनपी
		V.	-					
		vi.	छात्रवास/ओल्ड ऐज होम अल्पकालिक आवास - छात्रवास/ अतिरि	थे	पी पी	एनपी	एनपी	एनपी
		vii.	गृह, भोजन एवं आवास गृह/ कामकार्ज महिला-पुरुष के लिए छात्रवास, धर्मशाल	Ì	पी पी	एनपी	पी	पी
			और इसके समान/सर्विस अपार्टमेंट	'	पी पी	पी	पी	पी
			सामुदायिक भवन/बारात घर रैन बसेरा					
		viii. ix.	सामुदायिक/मनोरंजन भवन, पुस्तकालर पठनकक्ष, सोसायटी कार्यालय, क्रेच एवं केयर सेंटर		पी पी	एनपी	एनपी	पी
		X .			पी पी	पी	पी	पी
					पी पी	पी	पी	पी
40		क्र. सं.	उपयोग परिसर			उपयोग	जोन	
				आर	डी सी1	सी2 ए	म पीए	स
		पीएस	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएं					
		vi	मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु विद्यालय	पी	एनर्प	ो एनर्प	ो एनए	ी पी
41	उपयोग जोनों में भवन उपयोग परिसरों की अनुमति हेतु उप/खंड 8(3) की टिप्पणियां	पर रिहा की जार्न अनुमति उपयोग	योग परिसर जो पैरा 4.4.2क यशी उपयोग जोन हेतु योजन ो है/अनुमति दी जानी है, उप दी जाएगी संबंधित स्थानीय जोन हेतु ले आउट प्लान ब मति होगी और प्राधिकरण की	गएं गर्युक्त निव नाते	बनाते ानुसार काय वे समय	समय अन्य 5 अनुव इन :	जिनर्व उपयोग मोदन उपयोग	ो व्यवस्था ग जोनों में से संबंधित जोनों की
42	उपयोग परिसरों में भवन नियंत्रणों हेतु विनियमों के उपखंड 8(3) के अन्तर्गत सामान्य टिप्पणियां	एफ.ए.३ सभी उप मामलों निम्नलि क) स्टि	मेजनाइन फर्श और सर्विस फ	ज्ससे स्रा में	अधिव मेति स्टेक-प	ठ ऊंचा विशेष ग्रार्किंग	ई वाले परिसि के प्र	भवनों के थतियों में गावधान के

	3.0 : योजना की समीक्षा ए	·	की नेवा ग्रनों धेत
43	तालिका 18.1 विकास हेतु निगरानी व्यवस्था	घटक (vi) सामाजिक आधारिक संरचन ख. शिक्षा विकलांग व्यक्तियों हेतु विद्यालय छ. अन्य सामुदायिक सुविधाएं (iv) मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु देखभाल केन्द्र	

[फा. सं. के-12011/9/2012-डीडी-।] स्नील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2013

- **S.O. 2895(E).**—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 as part of its review exercise which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice S.O.1377 (E) dated 28th May, 2013 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within forty-five days from the date of the said notice.
- 2. Whereas, objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Board of Enquiry and Hearing, setup by the Delhi Development Authority and also approved at the meeting of the Delhi Development Authority.
- 3. Whereas, the Central Government has, after carefully considering all aspect of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi–2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

CHAPTER-WISE MODIFICATIONS ARE AS UNDER:

Chapter/	Para/Clause/Table		Modifications		
S. No.	of MPD-2021		3		
CHADTED	1.0-INTRODUCTION	NT .	<u> </u>		
1	Para 20 (m)	• Provision for abled person	introducing cycle tracks, pedestrian and sub-art		-
	3.0-DELHI URBAN	AREA 2021			
2	Table 3.3:				
	Hierarchy of Urban Development	Level	Facilities	To l	ded/ ated
		1	2	LOP 6	ZP 7
		3. Community	4. Maternity Home	•	/
		Population	5. Nursing Home/Polyclinic	•	
		1,00,000	11. Multipurpose Community hall (provision for marriages, small public gathering, function, eating joint and library, gym etc.)	•	
			14. Electric sub station 66KV	•	
			16. Informal Bazaar	•	
			19. Bus Terminal	•	
			20. Waste water treatment facility21. Sewage Pumping Station	•	
			22. Parking space for parking of buses,	•	
			LMVs, IPTs, etc.		
		4. District Population	3. Veterinary Hospital for pet animals & birds	•	
		5,00,000	12. Care Centre for Physically/Mentally Challenged	•	
			13. Working women-men hostel	•	
			15. Orphanage/ Children's Centre (one each)	•	
			19. Bus Terminal	•	
		5. Zonal/Sub	3. Telephone Exchange	•	
		City Population	7. Head Post Office & Administration Office	•	
		10,00,000	8. Sewage Pumping Station	•	
			9. Municipal Office for water & sewerage	•	
			12. Old Age Home	•	
СНУВТЕВ	L 2 4.0-SHELTER				
3	Title of Para 4.2.3.4 Para 4.2.3.4	Community Re Rehabilitation of Schemes for reha Buildings <i>and E</i>	relopment Regulations and Guidelines for habilitation/Relocation — In-situ Unif Slum & JJ Clusters, Resettlement habilitation of project-affected persons and WS public housing schemes. Settlement colonies, redevelopment, regularity and settlement colonies.	Jp-grad nt Col nd for U	ation/ onies, Insafe
7	1 414 4.2.3.4	and maintenance	e, which are overdue, are to be be incentives as applicable for the	ased of	n the

		Rehabilitation Scheme, schemes for rehabilitation of project-affected persons and for Unsafe Buildings <i>and EWS public housing schemes</i> .
		The following guidelines applicable with the following conditions:
		(vii) Area of the dwelling unit for EWS or rehabilitation shall be minimum 25sqm and max. 40 sq. mt. and room sizes as per IS: 8888.
		(viii) Common parking is to be provided <i>for residential component at</i> 0.5ECS per 100sqm of floor area which can be relaxed wherever required. Parking for remunerative purposes shall be as applicable
		for the relevant land use.
5		Footnote: Slum & JJ Clusters on plots smaller than 2000 sqm be relocated instead of taking up in-situ rehabilitation as per the above-cited guidelines.
6	Para 4.3 Night	Special provisions should be made for the homeless, women and
O	Shelter Shelter	children including the differently abled <i>persons</i> , orphans and old age persons. Further, to the development of night shelters
7	Para 4.4 DEVELOPMENT	The para number '4.4.2' is changed to '4.4.2A', as under:
	CONTROLS FOR RESIDENTIAL	4.4.2A SUB-DIVISION OF RESIDENTIAL ZONE (RD) INTO USE PREMISES
8	USE ZONE	4.4.2B USE PREMISES FOR RESIDENTIAL USE ZONE AT COMMUNITY LEVEL AND ABOVE
		Following Use Premises are to be provided/ permitted while
		preparing plans for Residential use zone at Community level and above:
		i. Family Welfare Centre/Pediatric Centre/Geriatric Centre/
		Diagnostic Center
		ii. Maternity Home
		iii. Nursing Home/Polyclinic
		iv. Dispensary for pet animals & birds v. Police Post
		vi. Community Recreational Club Socio-Cultural activities (auditorium, music, dance & drama centre/meditation & spiritual
		centre) vii. Night Shelter
		viii. Multipurpose Community hall (provision for marriages, small public gathering, function, eating joint and library, gym etc.)
		ix. Electric sub-station 66 KV x. Informal Bazaar
		xi. Bus terminal
		xii. Old age Home
		xiii. Care Centre for Physically/Mentally challenged
		xiv. Working women- men hostel xv. Adult Education Centre
		xv. Adult Education Centre xvi. Orphanage/Children's centre
		xvii. Sewage Pumping Station
		xviii. Waste Water Treatment Facility
		xix. Telephone Exchange xx. Head Post Office & Administration Office
		xxi. Head Fost Office & Administration Office xxi. Municipal Office for water & sewerage
		xxii. Parking space for parking of buses, LMVs, IPTs, etc.
9	Table 4.2:	
	Infrastructure	S. No. Use Premises
	Requirement for	(e) Utilities
	layout at	15. Area for segregation of waste and parking of utility vehicles
	Residential	remues

	Neighbourhood	Notes:		
	Level	(viii) Local Bodies	to ensure removal of	existing dhalaos in phases.
10	Table 4.3:			
	Uses/Use Activities	Use Premises	Definition	Use/Use Activities Permitted
	Permitted in Use Premises	Hostel	A premise in which residential accommodation in the form of rooms is provided, usually attached to an institution, with or without dining facility.	 i) Hostel, Old Age Home ii) Dining Area, Watch and Ward Residence, Service Shops of Barber, Laundry, Soft Drink and Snack Stall to be restricted up to 20% of floor area.
		Guest House, Lodging & Boarding House, Sarai	A premise providing temporary accommodation for short durations.	 i) Guest Rooms ii) Watch and Ward Residence, Service Shops of Barber, Laundry, Soft Drink and Snack Stall to be restricted up to 20% of floor area.
		Dharamshala or its equivalent	A premise providing temporary accommodation or for short durations on no-profit basis.	 i) Dharamshala ii) Service Personnel Shops of Barber & Laundry, Soft Drink & Snack Stall to be restricted up to 20% of floor area.
11	_			
		Use Premises	Definition	Use/Use Activities Permitted
		Studio Apartment	A premise in which residential accommodation in the form of multipurpose rooms is provided for Individual/Family.	i) Suite ii) Caretaker's Office, Retail Shops, Dining and supporting facilities, as per the requirement to be restricted up to 10% of floor area.
12	Para 4.4.3 CONTROLS FOR BUILDING/BUIL- DINGS WITHIN RESIDENTIAL PREMISES	A new para 'H. Stuare as under: H. STUDIO APA Minimum siza	RTMENTS	inserted after para 'G.'. Details
	1115.11325	Maximum Coverage Maximum FA	Ground 33.3%	···
		Height Parking	NR (Si AAI/Fir statutory	ubject to clearance from e Department and other v bodies) /100 sqm built up area
		Other Controls i) The maxin ii) The plots s of 12m. iii) Basement,	s for studio apartme num size of the apar should be located or if constructed, a	•

13	Para 4.4.3 B.	(v) Suc	h flats shoul	d have	a area he	tween 25 to	40 sqm
13	Residential Plot –	(*) 540	ii iiats siioui	ia nave	a area oc	.tween 25 to	40 sqm
	Group Housing						
CHAPTER	S 5.0-TRADE AND CO	OMMERCE					
14	Notes below Table 5.1: Five-Tier System of Commercial Areas	(v) The non Regulation		ations f	or catego	ry of colony,	er Mixed Use , road ROW etc. lentres.
15	Para 5.8 HOTELS	Dharamshala/deleted. According 5.8 (A) HOTE Delhi transport	Hostel have dingly, the p	been para 5.8 Semi-l	oroposed (A) is to	' in the said be read, as cilities, who	olesale markets,
16		5.8 (B) LONG TERM In ord service by Min short to and Bo These and/or	TERM (SI ACCOMM for to cater to apartments of aistry of Tour arm accommoder accommoder arding Hous are to be p	ERVIC ODAT of the lonare proprism an odation, we/Dhard provided schemes	E APAI ON ng term of posed as p d Culture , a hierard amshala/I l/permitte	RTMENTS) accommodati be the parar c, GOI. To co chy of Guest Hostel have b d while mo nmercial, In	AND SHORT ion requirement, meters stipulated ater to low tariff House, Lodging been proposed. odifying existing adustrial, Public
17	Table 5.4:						
	Development Controls – Commercial Centres	Use/use premises	Maximum Coverage (%)	FAR	Height (mts)	Parking Standard ECS/100 sqm. of floor area	Other controls
		d) Service Apartments	30	225	NR*	2	
18	Table 5.5:						
	Definitions and	Use premise	Defin			Activities	
	Activities Permitted in Use Premises	Service Apartment	A premi furnished, and self with meal used for term/long accommoda	servi contai preparat r sh	ced ned ii) iii) iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	facilities/Offi Retail/Service Dining an facilities,	e Shops, d supporting as per the to be restricted
CHAPTER	R 11.0-URBAN DESIG	N					
19	S. No. 'v' of 1 of para 11.1.1	v) Continuity of surface treat		uts, tree	e and stre		rms of the width, locations, for the
20	Para 11.6.1 STREET FURNITURE AND SIGNAGE	considering the	e land use, s. Their desi	intensi gn mus	ty of ac	tivity and	ned sensitively other identified t to pedestrians

СПУДТЕВ	12 () TD (NICDODT A	from Parki <i>diffe</i> i	Access provisions for the <i>differently abled persons</i> should be made from the street to overcome curb heights, rain water gratings etc. Parking spaces close to the entrance should be reserved for <i>differently abled persons</i>						
	12.0-TRANSPORTA		71						1 0 0 111 1 2
21	S. No. 'ii.'	p T ri	redestrians, bicycl ransport System (ickshaws (TSR).	ists, ((ITS)	<i>differ</i> enat	rentl oled	y <i>able</i> taxis	ed pers and thr	th safe facilities for nons and Intelligent ree-wheeled scooter
22	Para 12.1 INTEGRATED MULTI-MODAL TRANSPORT SYSTEM	selec All r bicyc	Intermediate Passenger Transport (IPT) and private modes on selected corridors to be identified as per the needs from time to time. All roads should be made pedestrian, <i>differently abled persons</i> and bicycle friendly as far as possible.						
CHAPTER	13.0-SOCIAL INFRA	STRU	JCTURE						
23	Para 13.2 EDUCATION								s for mentally and relopment norms are
24	Table 13.3: Planning Norms and Standards for Education Facilities	Sl. No. Category Population/ unit (approx.) Plot Area 2. Sr. Secondary School/ Secondary School 10,000 0.6-0.8 ha							
25		Sl. 1 4.	No. Category School for differabled persons	erentl	'y	Pop 10	ulation .0 lakh	n/ unit (Approx.) Plot Area 0.2 ha
26	Table 13.4:								
20	Development	Sl.	Category			M	aximu	m	Other Controls
	Controls for	No.	outegor;		Gr. (Height	
	Education Facilities	4	Sr. Secondary School Secondary School		35%			18 m	Same as given in MPD-2021
27									
21		Sl.	Category			M	aximu	m	Other Controls
		No.	-		Gr. 0			Height	
		6.	School for differe abled persons	ntly	50%		120	18m	2. In case of schools for mentally challenged/ differently abled persons, 20% of
20	T-1-1- 12.6								
28	Table 13.6 Development Controls for	S. No.	Category	Gro	und	axim FA		ight (Other Controls
	Education Facilities (Higher Education)	1	Vocational Training Centre(ITI/Polytec hnic/Vocational/Tr aining Institute/ management	35%	erage	225	37r	n 1	1. Upto 30% of max the permissible. FAR can be used for hostel accommodation for the students

Institute Teacher Training Institute etc. // Research and Development centre.		
Para 13.11 PUBLIC & SEMI PUBLIC FACILITIES/ PREMISES 1. Max. Ground Coverage 30% 2. Max. Floor Area Ratio 120 3. Max. Height 26 m. Other controls:- Parking @ 2ECS/100 sqm. of floor area. Other controls as given in Development Code chapter. Note: ii Amalgamation of the smaller PSP plots or sub division of the larger PSP plots for a single or its multiple use, is allowed with the permissible PSP facilities as per the provisions of MPD-2021. Table 13.17: Development Controls for Social-Cultural Facilities SI. Category Maximum Other Controls Ground FAR Height Coverage 2 a. Community 30% 120 26 m Parking standard		etc.)/ Research and Development centre. 2. General College 3. Professional College (Technical) 4. University Campus including International Education Centre (IEC) - Large campus (10 ha and above) will be divided into following a) Academic including administration (45 % of total land area) b) Residential (25 % of total land area) b) Residential (25 % of total land area) c) Sports and cultural activities d) Parks and landscape etc.)/ Research and Development code liable to be municipalized /taken over by the authority. 3. Other controls related to basements etc. are given in the Development Code chapter 1. Parking standard @ 1.33 ECS / 100sqm of floor area 2. Other controls related to basements etc. are given in the Development Code chapter 3. Landscape plan to be prepared
Table 13.17: Development Controls for Social- Cultural Facilities Table 13.17: Development Controls for Social- Cultural Facilities Table 13.17: Development Controls for Social- Cultural Facilities SI. Category Maximum Ground FAR Height Coverage 2 a. Community 30% 120 26 m Parking standard	PUBLIC & SEMI PUBLIC FACILITIES/	premises, for which specific development controls have not been specified. 1. Max. Ground Coverage 30% 2. Max. Floor Area Ratio 120 3. Max. Height 26 m. Other controls:- Parking @ 2ECS/100 sqm. of floor area. Other controls as given in Development Code chapter. Note: ii Amalgamation of the smaller PSP plots or sub division of the larger
	Development Controls for Social-	Sl. Category No. Sl. Category Maximum Ground FAR Height Coverage 2 a. Community 30% 120 26 m Parking standard

		Notes: i) The Recreational Clubs located in LBZ Area, Civil Lines Bungalow Area, Recreational Use Zones and existing on Heritage Structures will be dealt on case to case basis and Technical Committee of DDA will approve the Development Controls norms based on the existing status.					
31	Table 13.18: Planning Norms and Standards for	S. No.	Category			lation/ (approx.)	Plot Area
	Other Community	1	g) Service A	Apartment	1000		Minimum 2000 sq.m.
	Facilities	ii) T iii)	The minimum The plots shou	ld be located constructed,	on roa , and u	d facing mi sed only f	sqm built-up. nimum width of 12m. or parking, utilities and
32		S. No.	Category			llation/U	Plot Area
		1		-Mentally	Same in M	e as given PD-2021	Same as given in MPD-2021
33	Table 13.19:						
	Development Controls for Other	S. No.	Category	Ground Coverage	Maximu FAR	ım Height	Other Controls
	Community Facilities	4	Service Apartment	30%	225	NR* (subject to approval) of AA Fire	floor area.
						Department and Other Statutory Bodies.)	
34	-						
		S. No.	Category	Ground Coverage	Aaximu FAR	m Height	Other Controls
		1	Old Age Home/Care Centre for differently abled persons/ Mentally challenged/ Working women/ men hostel/ Adult Education Centre/ Orphanage /Children's Centre/ Night Shelter.	30%	120	26m	 Parking standard @1.8 ECS/100 sqm of floor area. Other controls related to basements etc. are given in the Development Code chapter.

35	Table 13.21: Educational Facilities	S. No.	Use Premises	Definitions	Activities permitted
	racinites	4.(a)	Senior Secondary School	A premise having educational and playing facilities for students upto XII standard.	Nursery School, Sr. Secondary School, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm), Books and Stationery Shop, Uniform Shop (Upto 20 sqm each) Soft Drink & Snack Stall, Canteen, Bank Extension Counter, Auditorium, Indoor Games Hall, Swimming Pool, Post Office Counter Facility.
		4.(b)	Secondary School	A premise having educational and playing facilities for students from VI to XII standard.	Secondary School, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm), Books and Stationery Shop, Uniform Shop (Upto 20 sqm each), Soft Drink & Snack Stall, Canteen, Bank Extension Counter, Auditorium, Indoor Games Hall, Swimming Pool, Post Office Counter Facility.
36				T = 0.1.1	
		S. No.	Use Premises	Definitions	Activities permitted
		5.	School for Mentally/ differently abled persons	A premise having educational (formal and vocational) and playing facilities for mentally & differently abled persons.	School, Ward & Watch Residence (Upto 20 sqm), workshop, sale counter, hostel facility (15% of permissible built up area), Books & Stationery Shop (Upto 20 sqm), Canteen, Bank Extension Counter, Post Office Counter facility, Indoor Games Hall, Upto 20% of max. FAR can be utilized for residential use of essential staff and student accommodation, office, professional activity, rehabilitation centre.
37	Table 13.27: Socio- Cultural and		Use Premises	Definitions	Activities Permitted
	Community Facilities		Home/Care Centre for differently abled persons / Mentally challenged	the facility of caring and training boarding & lodging of the	Care home with residential facility, residence (for management and maintenance staff), primary school, recreational, library, health, gym, canteen, dining facility.

38			
38		S. Use Premises Definitions Activ	rities Permitted
		25. Short Term A premise fully i) Gues Accommodatio furnished, serviced and ii) Conj	st Suite ference
		n self-contained with meal Faci	lities, Office, il and Service
		House/Boardi short term or long term Shop	os and Common
			other facilities
			orting the main ity (restricted up
			% of permissible
)•
CHAPTER 39	17.0-DEVELOPMEN SUB/CLAUSE 8	T CODE	
39	(2) PERMISSION	S. Use Premises	Use Zones
	OF USE	No.	RD C1 C2 M PS
	PREMISES IN USE ZONES	RD RESIDENTIAL i Residential plot - Plotted Housing	P P* NP NP N
		ii Residential plot - Group Housing	* P P P NP NP P
		iii Studio Apartment	P NP NP NP N
		iv Residence-cum-Work Plot	P P NP NP N
		v Foreign mission	P P NP NP N
		vi Hostel/Old age home	P P NP P P
		vii Short term Accommodation – Hostel/Guest House/ Lodging & Boarding House/Sarai/	P P P P P
		Working Women-Men Hostel, Dharamshala and its equivalent/Service Apartment	
		viii Community Hall/Barat Ghar	P P NP NP P
		ix Night Shelter x Community/Recreational hall, Library, Reading	P P P P P P
		Room, Society Office, Crèche and Day Care Centre	
40			I I
		S. Use Premises No.	Use Zones RD C1 C2 M PS
		PS PUBLIC AND SEMI PUBLIC FACILITIES vi School for Mentally Challenged/differently abled	P NP NP NP P
		persons	1 INI INI INI I
41	Notes of the	xii) Use premise which are to be provided/permitted	l while preparing
	SUB/CLAUSE	plans for Residential Use Zone at community le	vel given in para
	8(2) PERMISSION OF USE	4.4.2 A and B, shall be permitted in other use zone Use Premises are also permitted while preparing	
	PREMISES IN	respective Use Zone with the approval of concern approval of the Authority is not required.	
42	USE ZONES General Notes	The mezzanine floor and service floor wherever j	provided shall be
72	under Sub-Clause	considered as a part of the total FAR. In case of the bu	ildings with 26 m.
	8(3)	and more height in all use-zones, Technical Commi permit the following in special circumstances:	ittee of DDA may
	REGULATIONS FOR BUILDING	a) In case of provision of stack-parking in stilt fl	loor or basement,
	CONTROLS	minimum height should be 2.5 m. b) Intermittent service floor may be permitted for	or installation of
	WITHIN USE	,	

	PREMISES		equipments and services required for the maintenance of the building with prior approval of the agencies concerned and are not to be counted in FAR. The height of the service floor is to be decided based on the depth of structural members, the height requirement for providing water-reservoirs, other equipments, etc. The height of Service floor in the building shall be limited to 1.8 m	
CHAPTER 18.0-PLAN REVIEW AND MONITORING				
43	Table	18.1		
	Monitoring		Components	
	Framework	for	IV. SOCIAL INFRASTRUCTURE	
	Development		b. Education	
			i) School for <i>differently abled persons</i>	
			g. Other community facilities	
			iv) Care centre for mentally and differently abled persons	

[F. No. K-12011/9/2012-DD-I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.